मेल / स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

संख्या ए.–12015 / (26) / 2015–ई.एन.जी.

इन्दिरा भवन
सिविल लाईन्स, नागपुर – 440001
दिनांक : 10/01/2017

परिपत्र

विषय : पे मैट्रिक्स रू. 19900–63200 / – के वेतनमान में पे लेवल 2 (पूर्व संशोधित पे बैंड – 1 रू. 5200–20200 / – + ग्रेड पे रू. 1900 / –) में अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' (अराजपत्रित) के पद हेतु विभागीय अर्हक परीक्षा के संबंध में।

खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती के प्रावधान के अनुसार विभागीय अर्हक परीक्षा के द्वारा (डी.क्यू.ई. के रूप में संदर्भित) पे मैट्रिक्स रू. 19900–63200 / – के वेतनमान में पे लेवल 2 (पूर्व संशोधित पे बैंड – 1 रू. 5200–20200 / – + ग्रेड पे रू. 1900 / –) भारतीय खान ब्यूरो में अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' (अराजपत्रित) के 2 रिक्त अनारक्षित पदों को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है।

विभागीय अर्हक परीक्षा **10.02.2017** को आयोजित की जानी है।

02. भारतीय खान ब्यूरो के रू. 1800 / – के ग्रेड पे (पूर्व संशोधित) में समूह ग के कर्मचारी जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रखते हों, डी.क्यू.ई. में शामिल होने के पात्र हैं :–

(I) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं पास अथवा समकक्ष, एवं

(II) मैनुअल टाईपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग स्पीड अथवा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग स्पीड (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कूँजी डिप्रेशनके औसत पर 10500 के.डी.पी.एच. / 9000 के.डी.पी.एच. के अनुसार 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए।)

03. डी.क्यू.ई. के लिए पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होंगें :–

भाग I– संक्षेपण लेखन
भाग II – कार्यालय कार्यविधि का ज्ञान केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली) इत्यादि पर प्रश्न।
भाग III – सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
भाग IV – अंग्रेजी / हिन्दी टंकण

04. डी.क्यू. ई. हेतु शर्ते एवं निबंधन निम्न प्रकार होंगें :–

(I) 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले रू. 1800 / – के ग्रेड पे (पूर्व संशोधित) के समूह ग के कर्मचारी तथा उक्त पैरा 2 में उल्लखित शैक्षिक योग्यता वाले कर्मचारी डी.क्यू.ई. में शामिल होने के पात्र हैं।

(II) परीक्षा हेतु योग्यता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु आयु 50 वर्ष है)।

(III) भाग I, भाग II, भाग III एवं भाग IV के लिए अधिकतम अंक, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक तथा निर्धारित समय सीमा निम्न प्रकार है :–

भाग	अधिकतम अंक	डी.क्यू.ई. में क्वालीफाई करने हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक	डी.क्यू.ई. हेतु निर्धारित समय सीमा
भाग I	10	33%	30 मिनट
भाग II	40	33%	01 घंटा
भाग III	20	33%	30 मिनट
भाग IV	30	उक्त 2(ii) के अनुसार	10 मिनट

(IV) डी.क्यू.ई. में क्वालीफाई करने के लिए कार्मिक को भाग I, II, एवं III प्रत्येक में न्यूनतम 33% अंक तथा कुल 40% अंक प्राप्त करने होंगे। इस संबंध में अंकों को राउण्ड ऑफ नहीं किया जाएगा।

(V) डी.क्यू.ई. में सफल कर्मचारियों के परस्पर वरिष्ठता के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। डी.क्यू.ई. में सफल कर्मचारियों में वरिष्ठतम कर्मचारी को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा।

(VI) योग्यता एवं आयु तय करने की तिथि **27.01.2017** होगी।

(VII) यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी पास करते हैं तो ऐसी स्थिति में परवर्ती वर्षों में उत्पन्न होने वाले रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे अधिक कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा ताकि बाद की परीक्षा में सफल होने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा पूर्व की परीक्षा में सफल होनेवाले कर्मचारियों को पहले स्थान दिया जा सके।

(VIII) डी.क्यू.ई. भारतीय खान ब्यूरो, इन्दिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर में आयोजित की जाएगी ताकि कोई अन्य स्थान के बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

(IX) डी.क्यू.ई. के माध्यम से अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन की अवधि भर्ती नियमावली के अनुसार 2 वर्षों की होगी।

05. डी.क्यू.ई. में शामिल होने के लिए इच्छुक योग्य कर्मचारी संलग्न प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि यह प्रशासन अधिकारी (अराजपत्रित), इन्दिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर के पास **27.01.2017** तक अथवा उसके पूर्व पहुँच सके। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।

डी.क्यू.ई. में भाग लेने वाले कर्मचारी एस.आर. 132 के अनुसार यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एस. सेन.)
प्रशासन अधिकारी

प्रति :–

भारतीय खान ब्यूरो के सभी प्रभागों/अंचल/क्षेत्रीय/आर.ओ.डी.एल. एवं पी.पी. /उपक्षेत्रीय/अनुभाग/कैम्प कार्यालय (नई दिल्ली) प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र की विषय–वस्तु को सभी संबंधित कर्मचारियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उनके ध्यान में लाएं। यह भी अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय–वस्तु को उन कर्मचारियों के ध्यान में भी लाया जाए जो अवकाश अथवा दौरा इत्यादि पर है तथा इस परिपत्र के आलोक में कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन अराजपत्रित अनुभाग में अग्रेषित किया जाए ताकि आगे की कार्रवाई हेतु **27/01/2017** तक प्राप्त हो जाए। यदि सेवा पंजी का रख–रखाव आपके कार्यालय में किया जाता है तो कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत सेवा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी ब्योरे का सत्यापन कर लिया जाए तथा उस आशय का एक प्रमाण पत्र अग्रेषण पत्र में अभिलिखित कर दिया जाए।

संलग्न : यथोपरि।